

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 92/2022(2022/)

1. भागचन्द पुत्र रामलाल जाति भीणा निवासी कारगा कॉलोनी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक।
---प्रार्थी

♣ वनाम ♣

1. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री नवल किशोर पारीक

पैरोकार सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 21.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम मेहरुकलां तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत् 2070-73 में दर्ज अकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
10-10	258	1.62	वारानी 2
	किता	कुल रकबा 1.62	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की कच्चे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी ही बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थी का कच्चा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जाये तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 6.6.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिरसे अनुसार स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारों व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जयाव टिप्पणी जिसमें बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है।




उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मैने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. कं तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम मेहरुकलां तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 10-10 के खसरा संख्या 258 रकबा 1.62 हैक्टर, कुल किता 1 कुल रकबा 1.62 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (कान्कर)